न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी– मांगीलाल आर.ए.एस.

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

प्रकरण संख्या– 196/2020

1. विनोद कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. पवन कुमार पुत्र सागर राम जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मांगीराम.
4. सुशील कुमार

} पि0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

वनाम्

1. सुलतान पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. इमरती देवी पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मोहरसिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
4. सागर राम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. गुडडी देवी पत्नी भूपसिंह पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
6. विमला पत्नी शादीरराम पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री महेशकुमार अधिवक्ता वादीगण

श्री सुनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 08.01.2021

वादीगण सरोज बगैरहा ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत् घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चक 12 RWD की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 का खाता संख्या 58/47 में कुल 5.983 है0 कमाण्ड मय गै0मु0 भूमि तथा चक भूरानपुरा बारानी की जमावन्दी सम्वत् 2075–78 का खाता संख्या 71/70 में कुल 2.681 है0 बारानी–I भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी का अर्सा कदीम 10 वर्ष पूर्व मौखिक रुप से घरू वंटवारा (पारिवारिक समझौता) वादपत्र की दफा 4 के अनुसार हो गया था।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी राजस्व रिकार्ड में नाम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे बाद में वादीगण का निवेदन मानने से कतई इन्कार हो गया।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तलबी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादीगण द्वारा अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र की दफा 4 में दर्ज अपने नाम की आराजी घरू बंटवारा में वादीगण को दी हुई है जिस पर वादीगण

काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा भूमि तथा वादी संख्या 3 व 4 को 1/3 हिस्सा की ब0हि0ब0 भूमि के खातेदार काश्तकर घोषित कर चरण संख्या 4 में वर्णित चक के वादीगण को स्वामित्वधारक कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खाता हाजा से कल्मजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एंतराज नहीं है। राजीनामा पेश होने पर वाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रति, पैतृक साक्ष्य के सम्बन्ध में दस्तावेज व पंचायत से जारी सजरा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चक 12 RWD की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 का खाता संख्या 58/47 में कुल 5.983 है0 कमाण्ड मय गै0मु0 भूमि तथा चक भूरानपुरा बारानी की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 का खाता संख्या 71/70 में कुल 2.681 है0 बारानी–I भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में से वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा भूमि तथा वादी संख्या 3 व 4 को 1/3 हिस्सा की ब0हि0ब0 भूमि के काश्तकार खातेदार है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खाता हाजा से कल्मजन किया जावें। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या. प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी– मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 196 / 2020

1. विनोद कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. पवन कुमार पुत्र सागर राम जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मांगीराम } पि0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी भूरानपुरा
4. सुशील कुमार } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम्

1. सुलतान पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. इमरती देवी पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मोहरसिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
4. सागर राम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. गुडडी देवी पत्नी भूपसिंह पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
6. विमला पत्नी शादीरराम पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर ।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महेशकुमार गौड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री सुनील कुमार शर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 12 RWD की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 का खाता संख्या 58 / 47 में कुल 5.983 है0 कमाण्ड मय गै0मु0 भूमि तथा चक भूरानपुरा बारानी की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 का खाता संख्या 71 / 70 में कुल 2.681 है0 बारानी–I भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में से वादी संख्या 1 को 1 / 3 हिस्सा भूमि व वादी संख्या 2 को 1 / 3 हिस्सा भूमि तथा वादी संख्या 3 व 4 को 1 / 3 हिस्सा की ब0हि0व0 भूमि काश्तकार खातेदार है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खाता हाजा से कल्मजन किया जावें। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......X.....निल........X....मुब्लिक....X....निल......X.....बाबत्.....X....निल......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X............अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक......08.01.2021....को जारी किया गया।

(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी